न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली।

प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र संख्या–823/19

मुन्ने मियां बनाम श्रीमती रिहाना परवीन आदि

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0

थाना–कोतवाली जिला–बरेली।

दिनांक 03.07.19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 पर सुना गया।

प्रार्थनापत्र में प्रार्थी का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी की एक किता आराजी स्थित मो0 शाहवाद निकट मस्जिद मुन्ना तरकश थाना प्रेमनगर जिला बरेली है जिसकी पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.11.86 को लिखी गयी है, जिस पर प्रार्थी मालिक, काबिज व दखील है। विपक्षी श्रीमती रिहाना परवीन, श्रीमती शाहीन खान, श्रीमती शबाना बेगम, रूखसाना, मुजम्मिल खान, नदीम हुसैन, शमीउर्रहमान ने एक राय होकर प्रार्थी की आराजी के फर्जी मालिकाना कागजात तैयार करके प्रार्थी की उपरोक्त आराजी मुजम्मिल खान के हाथ दिनांक 28.01.19 को बेच डाली, जिस पर फर्जी गवाहॉन नदीम हुसैन व समीउर्रहमान के हस्ताक्षर हैं।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार थाना संबंधित पर प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 में विपक्षीगण द्वारा आपस में साज कर प्रार्थी की आराजी के फर्जी मालिकाना कागजात तैयार करके उसकी उपरोक्त आराजी मुजम्मिल खान के हाथ दिनांक 28.01.19 को विक्रय करने का कथन किया है। प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में प्रार्थी द्वारा अपना सम्पूर्ण मौखिक एंव अभिलेखीय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता हैं। प्रश्नगत मामले में पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने की कोई आवश्कता प्रतीत नही होती है। **विधिक व्यवस्था राम बाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001 (43) ए सी सी 50 इलाहाबाद फूल बैंच, सुखबासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.सी.एस. 2007 पेज 739 तथा विधिक व्यवस्था सुरेश चन्द्र जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए आई आर 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 571** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये व मामले के तथ्य एंव परिस्थितियों को देखते हुये मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक 18.07.19 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजि0
बरेली